

दीपेश चंडक

बनाम

भारत संघ

सितंबर 17,2004

[न्यायाधिपति एस. एन. वरियावा और न्यायाधिपति ए. के. माथुर]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा। 306 (2), 308 धन के दुरुपयोग के अपराध के लिए आयकर अधिनियम के तहत माफी का अनुदान-आयोजित, गलत विवरणी दाखिल करने के लिए आयकर अधिनियम के तहत अपराधों पर लागू नहीं होता है।

अपीलकर्ता बिहार के पशुपालन विभाग में चारा घोटाले से संबंधित कई मामलों में आरोपी था, उस पर धन के दुरुपयोग और आपूर्ति के लिए फर्जी बिल जारी करके राज्य के खजाने से धोखाधड़ीपूर्ण निकासी का आरोप लगाया गया था।

उन्हें विशेष न्यायाधीश, सीबीआई द्वारा शर्त पर माफी दी गई थी कि वह पूरा-पूरा खुलासा करे। उनके द्वारा दिए गए बयान के आधार पर, आयकर उपायुक्त सेंट्रल सर्कल -1 पटना ने कारण बताओ नोटिस जारी किया कि आयकर अधिनियम के तहत गलत आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाना चाहिए।

अपीलकर्ता ने जवाब दिया कि उसे आयकर अधिनियम की धारा 277 और 278 के तहत माफी दी गई है। आयकर आयुक्त, जिन्होंने राय दी कि क्षमा केवल भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों तक ही सीमित है और आयकर अधिनियम की धारा 277 और 278 के तहत एक शिकायत मामला दर्ज किया, आर्थिक अपराध न्यायालय, पटना ने संज्ञान लिया और समन जारी किया।

इस शिकायत को रद्द करने की अपीलकर्ता की याचिका इस आधार पर खारिज कर दी गई कि अभी तक क्षमादान की शर्तें पूरी हो चुकी हैं। यह माना गया कि जब तक अपीलकर्ता द्वारा पूर्ण साक्ष्य नहीं दिए जाते और सभी मामलों की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक वह आरोपी बना रहेगा और इसलिए, अभियोजन से छूट का दावा नहीं कर सकता।

इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि उसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 306 के तहत क्षमा प्रदान की गई है, कि धारा 306 (2) आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत क्षमा, कारावास से दंडनीय किसी भी अपराध के संबंध में है, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है। या इससे अधिक कि ऐसी क्षमा न केवल भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों के लिए लागू होगी, बल्कि अन्य कानूनों के तहत अपराधों को भी कवर करेगी, कि धारा 277 और 278 के तहत अपराध के लिए सजा सात साल तक बढ़ सकती है, क्षमा संख्या के आधार पर इन धाराओं के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ अभियोजन चलाया जा सकता था, उच्च न्यायालय यह कहने में सही नहीं था कि अभी तक अपीलकर्ता पर आरोप लगाया गया था, कि क्षमादान तब तक जारी रहेगा जब तक इसे आपराधिक प्रक्रिया की धारा 308 के तहत रद्द नहीं किया जाता है। संहिता में कहा गया है कि क्षमादान का अनिवार्य रूप से यह अर्थ होना चाहिए कि एक ही अपराध के संबंध में कोई अभियोजन आधारित नहीं हो सकता है, और जिन अपराधों के लिए अपीलकर्ता पर मुकदमा चलाया जा रहा था, वे वही थे जिनके संबंध में उस पर आयकर अधिनियम की धारा 277 और 278 के तहत मुकदमा चलाने की मांग की जा रही थी।

उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि जिन अभियोजनों के संबंध में क्षमादान दिया गया था, वे पशुपालन विभाग को कभी नहीं की गई आपूर्ति के संबंध में फर्जी बिल बनाकर

पशुपालन विभाग के धन के दुरुपयोग के लिए थे, और अभियोजन का झूठे रिटर्न दाखिल करने से कोई लेना-देना नहीं था। और आयकर रिटर्न में गलत विवरण देना।

न्यायालय ने अपील का निपटारा करते हुए माना गया:

1. धन के दुरुपयोग के अपराध के लिए क्षमा प्रदान की गई है। इस अपराध का अपीलकर्ता द्वारा गलत रिटर्न दाखिल करने से कोई लेना-देना नहीं है। 1961 के अधिनियम की धारा 277 और 278 के तहत अभियोजन गलत रिटर्न दाखिल करने और झूठी घोषणा करने के संबंध में है। जो माफ़ी दी गई है उसमें वे अपराध शामिल नहीं होंगे। [499-जी, एच; 500-ए]

2. क्षमादान का लाभ पाने के लिए अपीलकर्ता को हेराफेरी के अपराधों के संबंध में पूर्ण और स्पष्ट खुलासा करना होगा। यदि वह पूरा खुलासा नहीं करता है तो क्षमादान रद्द किया जा सकता है। यदि वह पूर्ण खुलासा करता है तो उसे आयकर अधिनियम की धारा 277 और 278 के तहत अभियोजन में दोषी ठहराए जाने की संभावना का सामना करना पड़ता है। संविधान के अनुच्छेद 20(2) में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अभियोजन जारी रखना अपीलकर्ता को अपने खिलाफ साक्ष्य देने के लिए मजबूर करने या क्षमादान रद्द होने का जोखिम उठाने जैसा होगा क्योंकि वह दूसरे मामले में दोषी ठहराए जाने के डर से पूर्ण खुलासा नहीं कर सकता है। इस प्रकार, भले ही क्षमा का दायरा इन अपराधों पर लागू नहीं होता है, यह एक उपयुक्त मामला है जहां सरकार को इन धाराओं के तहत अपीलकर्ता पर मुकदमा नहीं चलाने पर विचार करना चाहिए। इस तरह मुकदमा चलाने पर जोर देने से चारा घोटाला मामलों में बहुमूल्य सबूत खो सकते हैं। [500-बी, सी, डी]

[अदालत ने निर्देश दिया कि आयकर अधिनियम की धारा 277 और 278 के तहत अभियोजन उन मामलों की सुनवाई समाप्त होने तक रुका रहेगा जिनमें माफ़ी दी

गई है। यदि अपीलकर्ता पूर्ण खुलासा करता है, तो धारा 277 और 278 के तहत अभियोजन को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, और अपीलकर्ता को उस स्तर पर उस अभियोजन को रद्द करने के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।] (500-ई)

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील संख्या 1032 /2004

2001 के सीआरएल एम. संख्या 6300 में पटना उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 21.3.2002 से।

अपीलार्थी के लिए एम. एल. लाहोटी, पबन के. शर्मा और हिमांशु शेखर।

के. पी. पाठक और बी. दत्ता, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, सुश्री संध्या गोस्वामी, बी. वी. बलराम दास, सुश्री रेवती राघवन और पी. परमेस्वरन प्रतिवादी के लिए ।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था-

न्यायाधिपति एस. एन. वरियावा :

अनुमति दी गई।

यह अपील पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 21 मार्च, 2002 फैसले के खिलाफ है।

संक्षेप में बताए गए तथ्य इस प्रकार हैं:

अपीलकर्ता बिहार के पशुपालन विभाग में चारा घोटाले से संबंधित कई मामलों में आरोपी है। उन पर अन्य लोगों के साथ, पशुपालन विभाग के धन के दुरुपयोग और पशुपालन विभाग को कभी नहीं की गई आपूर्ति के लिए फर्जी बिल जारी करके राज्य के खजाने से धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। अपीलकर्ता को 28 अगस्त,

1998 को विशेष न्यायाधीश, सीबीआई द्वारा इस शर्त पर क्षमादान दिया गया कि वह पूर्ण खुलासा करेगा।

अपीलकर्ता द्वारा दिए गए बयान के आधार पर, आयकर उपायुक्त, सेंट्रल सर्कल- I, पटना ने अपीलकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि क्यों न उनके खिलाफ आय की धारा 277 और 278 के तहत मुकदमा शुरू किया जाए। कर अधिनियम, आयकर का गलत रिटर्न दाखिल करने के लिए। अपीलकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि उसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 306 के तहत क्षमादान दिया गया है और इस प्रकार कारण बताओ नोटिस धारा 277 और 278 के तहत अपराध के लिए बनाए रखने योग्य नहीं है। आयकर अधिनियम इस तर्क को आयकर आयुक्त ने स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने राय दी कि क्षमा केवल भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों तक ही सीमित थी। तदनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 277 और 278 के तहत एक शिकायत मामला संख्या 157 (सी)/2000 दर्ज किया गया है। आर्थिक अपराध न्यायालय, पटना ने संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है।

अपीलकर्ता ने इस शिकायत को रद्द करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक याचिका दायर की। आक्षेपित निर्णय के अनुसार याचिका अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर खारिज कर दी गई है कि अभी तक क्षमादान की शर्तें पूरी नहीं की गई हैं। यह माना जाता है कि जब तक अपीलकर्ता द्वारा पूर्ण साक्ष्य नहीं दिए जाते और सभी मामलों की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक वह आरोपी बना रहेगा और इसलिए, अभियोजन से छूट का दावा नहीं कर सकता।

अपीलकर्ता की ओर से श्री लाहोटी ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 306 के तहत क्षमा प्रदान की गई है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि धारा 306 की उपधारा 2 के तहत किसी भी अपराध के संबंध में क्षमा

प्रदान की जाती है। कारावास से दंडनीय है जिसे सात वर्ष या अधिक तक बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि ऐसी क्षमा होगी यह न केवल भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों के लिए संचालित होगा, बल्कि अन्य कानूनों के तहत अपराधों को भी कवर करेगा। उन्होंने कहा कि धारा 277 और 278 के तहत अपराध के लिए सजा सात साल तक बढ़ सकती है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि क्षमा के आधार पर इन धाराओं के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ कोई अभियोजन शुरू नहीं किया जा सकता था।

श्री लाहोटी ने [1959] एससीआर 1324 में रिपोर्ट किए गए बिपिन बिहारी सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले पर भरोसा किया, जहां इसे इस प्रकार रखा गया है:

"संहिता की धारा 339(1) में प्रावधान है कि "जहां धारा 337 या धारा 338 के तहत क्षमादान दिया गया है और लोक अभियोजक प्रमाणित करता है कि उनकी राय में कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसी निविदा स्वीकार की है, उसने या तो जानबूझकर कुछ भी आवश्यक छिपाया है या झूठे साक्ष्य, उस शर्त का अनुपालन नहीं किया गया जिस पर निविदा दी गई थी, ऐसे व्यक्ति पर उस अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है जिसके संबंध में क्षमा प्रदान की गई थी, या किसी अन्य अपराध के लिए जिसके संबंध में वह दोषी प्रतीत होता है वही मामला"। इस उप-धारा का प्रावधान ऐसे व्यक्ति के किसी भी अन्य आरोपी के साथ संयुक्त रूप से मुकदमा चलाने पर रोक लगाता है और ऐसा व्यक्ति ऐसे मुकदमे में यह दलील देने का हकदार होगा कि उसने उस शर्त का अनुपालन किया था जिस पर ऐसी निविदा बनाई गई थी। इस धारा के प्रावधान स्पष्ट रूप से यह मानते हैं कि किसी व्यक्ति को दी गई क्षमा उसके द्वारा स्वीकार कर ली गई थी

और उसके बाद उस व्यक्ति ने जानबूझकर कुछ भी आवश्यक छुपाया था या झूठे साक्ष्य दिए थे और इसलिए उस शर्त का पालन नहीं किया था जिस पर उसके लिए टैंडर किया गया था। संहिता की धारा 337, जिसके तहत क्षमादान किया जाता है, दर्शाती है कि ऐसा टैंडर इस शर्त पर किया जाता है कि जिस व्यक्ति को यह क्षमादान दिया गया है वह अपराध से संबंधित अपनी जानकारी में सभी परिस्थितियों का पूर्ण और सच्चा खुलासा करता है और इस धारा की उप-धारा (2) में प्रत्येक संबंधित व्यक्ति के लिए, चाहे वह प्रिंसिपल के रूप में हो या उसके कमीशन के लिए दुष्प्रेरक के रूप में, आवश्यक है कि निविदा स्वीकार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट की अदालत में एक गवाह के रूप में जांच की जाएगी। अपराध और उसके बाद के मुकदमे में, यदि कोई हो, तो यह स्पष्ट है कि केवल क्षमादान धारा 339 के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करता है, इसकी स्वीकृति होनी चाहिए और जिस व्यक्ति ने क्षमा स्वीकार कर ली है, उससे गवाह के रूप में जांच की जानी चाहिए। इसके बाद ही धारा 339 के प्रावधान लागू होते हैं और क्षमा स्वीकार करने वाले व्यक्ति पर उस अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है जिसके संबंध में क्षमादान दिया गया था, यदि लोक अभियोजक प्रमाणित करता है कि उसकी राय में उसने या तो जानबूझकर क्षमादान दिया है। कुछ भी आवश्यक नहीं था या गलत साक्ष्य दिया था और उस शर्त का पालन नहीं किया था जिस पर निविदा बनाई गई थी।"

इस मामले पर भरोसा करते हुए, श्री लाहोटी ने कहा कि उच्च न्यायालय का यह कहना सही नहीं था कि अभी तक अपीलकर्ता एक आरोपी था। उन्होंने प्रस्तुत किया

कि क्षमादान तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 308 के तहत रद्द नहीं किया जाता।

श्री लाहोटी ने (1960] 2 एससीआर 355 में रिपोर्ट किए गए राज्य बनाम हीरालाल जी. कोठारी और अन्य के मामले पर भी भरोसा किया, जिसमें यह माना गया है कि जिस व्यक्ति को क्षमादान दिया गया है, उससे किसी अन्य सहायक अपराध के विवरण सहित पूरी सच्चाई बताने की उम्मीद की जाती है। जो अपराध के दौरान किया गया हो सकता है जिसके लिए क्षमादान दिया गया है। यह माना गया है कि दिए गए क्षमादान में सहायक अपराध भी शामिल होना चाहिए, भले ही यदि सहायक अपराध अकेले किया गया हो तो उसके लिए कोई क्षमादान नहीं दिया जा सकता था। उन्होंने ए.एल.आर. (1915) सिंध 43 में रिपोर्ट किए गए हरुमलपरमानंद बनाम सम्राट के मामले पर भी भरोसा किया, जिसमें यह माना गया है कि यदि एक से अधिक अपराध हैं और यदि उनमें से कोई भी विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध है , तब क्षमादान दिया जा सकता है, भले ही आरोपित या आरोपित अन्य अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय न हों। वह एआईआर (1921) इलाहाबाद 234 में रिपोर्ट किए गए श्याम सुंदर सम्राट के मामले पर भी भरोसा करते हैं, जिसमें डकैती के मामले में एक सरकारी गवाह ने भी खुलासा किया था कि उसके पास हथियार कहां थे। डकैती के मामले से रिहा होने के बाद उस पर हथियार रखने के लिए शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया गया। यह माना गया कि हथियारों और गोला-बारूद का अवैध कब्जा डकैती के मामले के संबंध में एक अपराध था। यह माना गया कि हथियार उसके व्यापार और अपराध के उपकरण थे और एक डाकू के रूप में हथियारों के कब्जे को अपराध से अलग करना असंभव था। यह माना गया कि वह गिरोह के पास मौजूद हथियारों का जिक्र किए बिना डकैती के अपराध से संबंधित पूर्ण और सच्चा खुलासा नहीं कर सका। यह माना गया कि उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता क्योंकि क्षमादान में यह कृत्य भी शामिल था। इस मामले में, यह भी बताया गया है कि यदि,

हालांकि, उसने किसी अन्य अपराध के संबंध में खुलासा किया था जो उस अपराध से जुड़ा नहीं था जिसके लिए उस पर मुकदमा चलाया गया था, भले ही वह क्षमा के दायरे में नहीं आएगा, न्यायालय को अभियोजन पक्ष को उस अन्य अपराध के संबंध में उसके विरुद्ध कार्यवाही न करने की सिफारिश करनी चाहिए।

श्री लाहोटी ने [2003] 7 एससीसी 121 में रिपोर्ट किए गए राज्य (एनसीटी दिल्ली सरकार) बनाम प्रेम राज के मामले पर भी भरोसा किया, जिसमें इस न्यायालय ने क्षमा की शक्ति और सजा कम करने की शक्ति पर चर्चा की है। हमारे विचार में इस अधिकार का संबंधित प्रश्न से कोई लेना-देना नहीं है।

श्री लाहोटी ने प्रस्तुत किया कि क्षमा का अर्थ अनिवार्य रूप से यह होना चाहिए कि समान अपराध के संबंध में कोई अभियोजन आधारित नहीं हो सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जिन अपराधों के लिए अपीलकर्ता पर मुकदमा चलाया जा रहा था, वे वही अपराध थे जिनके संबंध में अब उस पर आयकर अधिनियम की धारा 277 और 278 के तहत मुकदमा चलाने की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा अभियोजन को रद्द न करना गलत था।

दूसरी ओर श्री पाठक, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और श्री बी. दत्ता, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि जिन मुकदमों के संबंध में क्षमादान दिया गया था, वे आपूर्ति के संबंध में फर्जी बिल बनाकर पशुपालन विभाग के धन के दुरुपयोग के लिए थे। पशुपालन विभाग को उन्होंने बताया कि अभियोजन का गलत रिटर्न दाखिल करने और आयकर रिटर्न में गलत बयान देने से कोई लेना-देना नहीं है। [2001] 8 एससीसी 289 में रिपोर्ट किए गए जसबीर सिंह बनाम विपिन कुमार जग्गी के मामले पर भरोसा किया गया था, जिसमें सवाल था कि क्या एक व्यक्ति जिसे नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 64(1) के तहत प्रतिरक्षा प्रदान की गई है। आपराधिक मामले में अभियुक्त होने पर भी उससे गवाह के रूप में

पूछताछ की जा सकती है। विचारण न्यायाधीश ने माना कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 307 या धारा 321 के तहत दी गई किसी भी क्षमा के अभाव में किसी अभियुक्त से अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पूछताछ नहीं की जा सकती। इस न्यायालय ने माना कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 307 के तहत प्रयोग की गई शक्तियों और सरकार द्वारा धारा 64 के तहत प्रयोग की गई शक्तियों के बीच कोई टकराव नहीं था। इस न्यायालय ने माना कि अगर कोई टकराव था, तो भी नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1985 एक विशेष और बाद में अधिनियमित होने के कारण, धारा 64 प्रभावी होगी। यह माना गया कि धारा 64 के तहत दी गई छूट के आधार पर अभियुक्त द्वारा साक्ष्य दिया जा सकता है।

हमारे विचार में, उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं था कि जब तक अपीलकर्ता द्वारा साक्ष्य नहीं दिया जाता, क्षमादान लागू नहीं हो सकता। हालाँकि, तथ्य यह है कि सीआरपीसी की धारा 306 के तहत क्षमा उस अपराध के संबंध में दी गई है जिसके लिए उस पर आरोपी के रूप में आरोप लगाया गया था। निस्संदेह, माफ़ी केवल भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के संबंध में ही नहीं होनी चाहिए। किसी व्यक्ति पर एक ही लेनदेन या कार्य के संबंध में भारतीय दंड संहिता और कुछ अन्य अधिनियम जैसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाया जा सकता है। क्षमा उस लेनदेन से संबंधित सभी अपराधों के संबंध में लागू होगी। हालाँकि, क्षमा किसी ऐसे लेनदेन या कार्य के संबंध में लागू नहीं होती है जो उस अपराध से पूरी तरह असंबद्ध है जिसके संबंध में क्षमा प्रदान की गई है। इस मामले में, धन के दुरुपयोग के अपराध के लिए क्षमा प्रदान की गई है। इस अपराध का अपीलकर्ता द्वारा गलत रिटर्न दाखिल करने से कोई लेना-देना नहीं है। धारा 277 और 278 के तहत मुकदमा गलत रिटर्न दाखिल करने और झूठी घोषणा करने के संबंध में है। जो माफ़ी दी गई है उसमें वे अपराध शामिल नहीं होंगे।

हालाँकि, यह स्पष्ट है कि क्षमा का लाभ प्राप्त करने के लिए अपीलकर्ता को हेराफेरी के अपराधों के संबंध में पूर्ण और स्पष्ट खुलासा करना होगा। यदि वह पूर्ण और संपूर्ण प्रकटीकरण नहीं करता है तो क्षमादान रद्द किया जा सकता है। यदि वह पूर्ण खुलासा करता है तो उसे दोषी ठहराए जाने की संभावना का सामना करना पड़ता है! आयकर अधिनियम की धारा 277 और 278 के तहत अभियोजन में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(2) में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अभियोजन जारी रखना अपीलकर्ता को अपने खिलाफ सबूत देने के लिए मजबूर करने या क्षमादान रद्द होने का जोखिम उठाने जैसा होगा क्योंकि वह दूसरे मामले में दोषी ठहराए जाने के डर से पूर्ण खुलासा नहीं कर सकता है। इस प्रकार, भले ही क्षमा इन अपराधों तक विस्तारित न हो, हमारे विचार में, यह एक उपयुक्त मामला है जहां सरकार को इन धाराओं के तहत अपीलकर्ता पर मुकदमा नहीं चलाने पर विचार करना चाहिए। इस तरह मुकदमा चलाने पर जोर देने से चारा घोटाला मामलों में बहुमूल्य सबूत खो सकते हैं।

इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि आयकर अधिनियम की धारा 277 और 278 के तहत अभियोजन उन मामलों की सुनवाई पूरी होने तक रुका रहेगा, जिनमें क्षमादान दिया गया है। यदि अपीलकर्ता पूर्ण खुलासा करता है, तो, हमारे विचार में, धारा 277 और 278 के तहत अभियोजन को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए, हम अपीलकर्ता को उस चरण में उस अभियोजन को रद्द करने के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता देते हैं।

तदनुसार, उपरोक्त निर्देशों के साथ अपील का निपटारा किया जाता है।

वी एम

अपील का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।